अतिमहत्वपूर्ण /अतिआवश्यक

संख्याः शिक्षा (प्रा0)एच0 (6)3–10/2022
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला– 171001 अक्तूबर, 2023

प्रेषित :– समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :– वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 हेतु पहली से आठवी कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रही सभी छात्राओं, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति तथा बी0पी0एल0 छात्रों को डी0बी0टी0 के माध्यम् से स्कूल वर्दी हेतु प्रदान की गई धनराशि को बैंक खातो से निकलवाने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा की आपको विदित है कि प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार विभाग द्वारा सरकारी पाठशालाओं में पहली से आठवी कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रही सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी0पी0एल0 छात्रों को मु0 1200/– रूपये प्रति छात्र–छात्रा(मु0 600/– रूपये वर्ष 2022–23 तथा मु0 600/– रूपये वर्ष 2023–24 हेतु) स्कूल वर्दी हेतु उक्त छात्र–छात्राओं को डी0बी0टी0 के माध्यम् से उनके बैंक खातों में प्रदान किया गए हैं।

अतः इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्त सभी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे उपरोक्त श्रेणी के सभी विद्यार्थियों तथा उनके माता–पिता एवम् अभिभावको को यह अवगत करवाएं कि विभाग द्वारा स्कूल वर्दी हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खातों में मु0 1200/– रूपये प्रति छात्र–छात्रा(मु0 600/– रूपये वर्ष 2022–23 तथा मु0 600/– रूपये वर्ष 2023–24 हेतु) प्रदान की गई धनराशि को शीघ्र ही बैंक खातों से उक्त प्रयोजन हेतु निकाल ले तथा छात्र – छात्रा वार सुचना प्रत्येक खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर सकंलित करके रिकार्ड में रखे तथा प्रत्येक जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय स्तर पर भी सूचना को समेकित करके अपने–अपने कार्यालय रिकार्ड में रखे। इसके साथ–2 आप समय–2 पर इसकी समीक्षा करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उक्त श्रेणी के सभी छात्र–छात्राओं को विभाग द्वारा प्रदान की गई धनराशि प्राप्त हुई है।

इस संदर्भ में समस्त उप–निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है, कि यदि किसी खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से बजट की अतिरिक्त मांग आती है तो यह स्पष्ट करें कि क्या उनके अधीन विद्यालय में उतना नामांकन बढा है, इसलिए नामांकन बढने के कारण अतिरिक्त बजट की मांग सहित इस कार्यालय को तीन दिनों के भीतर भेजे ताकि मामले में शीघ्र कार्यवाई की जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त योजना हेतु विभाग द्वारा प्रदान की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificates) भी निदेशालय को **दस दिनों के भीतर** भेजना सुनिश्चित करे।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

/

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक अक्तूबर, 2023
प्रतिलिपि :–

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. शाखा अधिकारी, बैकं आफ बाडौदा, शिमला शाखा, नजदीक गुरूदवारा शिमला–171001 को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
3. प्रभारी(आई0टी0 सेल)(आन्तरिक) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त पत्र को विभाग की Website पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
16 OCT 2023
शिमला–1

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001